



# National Association of Street Vendors of India (NASVI)

#304, Maurya Tower, Maurya Lok complex, Patna 800001

Tele: 0612-2220772/2220773, E - Mail: nasvinet@hotmail.com

सेवा में,  
श्री नीतीश कुमार  
माननीय मुख्यमंत्री  
बिहार, पटना

दिनांक: 19/04/2021

**विषय: COVID चरण दो में आकस्मिक प्रतिबंधों के कारण फूटपाथ दुकानदारों की आजीविका और अस्तित्व के लिए खतरा - जीवन और आजीविका को बचाने के लिए अनुरोध**

## आदरणीय महोदय

स्ट्रीट वेंडर्स पिछले साल के लॉकडाउन के बाद से ही गंभीर कठिनाई का सामना कर रहे हैं। चरणबद्ध लॉक आउट के दौरान उन्हें अपनी आजीविका चलाने की अनुमति मिली, एवं साथ ही प्रधान मंत्री स्वनिधि योजना के अंतर्गत 10,000 रु का ऋण मुहैया करवाया गया। अभी दुकानदार अपनी स्थिति से उबर भी नहीं पाए थे की महामारी का दूसरा चरण ने अपने चपेट में ग्रसित कर लिया है। वर्तमान की परिस्थितियों ने फूटपाथ दुकानदारों की आजीविका के सामने एक गंभीर चुनौती पैदा कर दी है। यद्यपि राज्य सरकार ने आवश्यक दिशा निर्देश जारी किये है। जिसके तहत संध्या 6 बजे तक ही दुकान लगाने की अनुमति है। इस सन्दर्भ में हम आप का ध्यानाकर्षण निम्न बिन्दुओं पर करवाना चाहते हैं-

- गत लॉक डाउन में सब्जी व फल दुकानदारों को आवश्यक सेवा के तहत शामिल किया गया था।
- मंडियों को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटकर के लगाने की अनुमति थी।
- प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत 10000 रु का ऋण भी उपलब्ध करवाया गया जो की अब चूका पाना भी मुस्किल हो रहा है।
- पुलिस 5 बजे से ही मार्केट बंद करवाने का कार्य आरंभ कर दे रही है।

**अतः हम आप से अनुरोध करते हैं की**

- बड़ी सब्जी व फल मंडी को विकेंद्रित कर समय सुबह 6:00 बजे से शाम 9:00 बजे तक निर्धारित किया जाए ताकि मार्केट में होने वाले भीड़भाड़ को रोका जा सके।
- पंजीकृत स्ट्रीट फूड वेंडर्स को कोविड -प्रोटोकॉल्स को पालन करते हुए रात्रि 9 बजे तक रोजगार करने की अनुमति हो। इनके भोजन व सेवाओं के उपर अन्य असंगठित क्षेत्र के श्रमिक निर्भर रहते हैं।
- जिस तरीके से लॉक डाउन एवं लॉक आउट के बिच सब्जी और फल विक्रेताओं को मोहल्लों में घूम घूम कर के बेचने के लिए अधिकृत किया गया था उन्हें वह प्रक्रिया पुनः बहाल की जाए।
- पुलिस के क्रियाकलाप पर रोक लगाई जाए क्योंकि कई जगह ऐसा देखा गया है कि पुलिस वेंडर्स पुलिस की बर्बरता का शिकार हो रहे हैं।
- फूटपाथ दुकानदारों को प्राथमिकता के आधार पर टीका लगाया जाना चाहिए।
- नगर निगम को आपातकालीन राशन और स्वच्छता किट जैसे मास्क, सैनिटाइज़र आदि के साथ वेंडर्स का समर्थन करने के लिए आगे आना चाहिए।
- इस आशय से प्रधान सचिव, आपदा प्रबंधन, सचिव नगर विकास विभाग एवं जिला अधिकारी पटना को भी अवगत करवाया गया है।

आभार

राकेश त्रिपाठी  
कार्यक्रम निदेशक  
8051808001